इस्लामी तकाफ़ुल

वर्तमान दौर में पैदा होने वाली समस्याओं के हल के लिए स्थापित संस्था इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया का इक्कीसवां इन्टरनेशनल फ़िक्ही सेमिनार प्रसिद्ध व्यापारिक शहर इन्दौर के निकट जामिया इस्लामिया बन्जारी में दिनांक 9-11 रबीउस्सानी 1433 हिजरी, 3-5 मार्च 2012ई0 को आयोजित हुआ, इस सेमिनार में दूसरे मुद्दों के साथ इन्शोरेन्स की विकल्प व्यवस्था ''तकाफ़ुल'' के बारे में भी बहस की गयी और आम सहमति से निम्न प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

मानव जीवन ख़तरों से घिरा हुआ है मुख्य रूप से औद्योगिक क्रान्ति के बाद जहां आर्थिक प्रगति के व्यापक अवसर पैदा हुए और मनुष्य के लिए आसानियां बढ़ीं वहीं मशीनी क्रांन्ति ने ख़तरों में भी वृद्धि की। मानव प्राकृति रूप से चाहता है कि संभावित तौर तरीक़ों और संसधनों द्वारा ऐसे क़दम उठाए जाएं कि ख़तरों से हर संभव हद तक उसकी सुरक्षा हो, यदि कोई दुर्घटना घट ही जाए तो वह उसके लिए आर्थिक रूप से सहन योग्य हो।

इस्लामी शरीअत इन्सान की इस स्वभाविक इच्छा की अवहेलना नहीं करती बल्कि इस्लाम में भविष्य के लिए प्रयास और संभावित ख़तरों से सुरक्षा सहयोग, आपसी मदद और त्याग व बलिदान की स्पष्ट हिदयातें मौजूद हैं। शरीअत में ख़तरों का विभाजन व कमी करने की धारणा भी मिलती है जिससे एक व्यक्ति की हानि पूरी जमाअत में बांट दी जाए और व्यक्ति के लिए उसे सहन करना आसान हो जाए।

इस्लामी तकाफ़ुल की बुनियाद असल में इन्हीं धारणाओं पर क़ायम है जिसमें हर भागीदार के लिए बेहतर भविष्य की कामना की जाती है और आनेवाले ख़तरों से सुरक्षा का सामान किया जाता है। इस आधार पर यह सेमिनार महसूस करता है कि तकाफ़ुल को बुराइयों से बचाते हुए शक्तिशाली शरई बुनियादों पर खड़ा करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग इन उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए प्रचलित ग़ैर इस्लामी इन्शोरेन्स कम्पनियों और सूद व जुवा पर आधारित संस्थानों की ओर जाते हैं, उनको सही इस्लामी विकल्प उपलब्ध किया जाए।

1- तकाफ़ुल की सबसे बेहतर और शरीअत के नियमों एवं उद्देश्यों से मेल खाती सूरत यह है कि इसकी बुनियाद पूरी निष्ठा से सहयोग पर हो और सदस्यों के लिए पूंजी निवेश द्वारा लाभ हासिल करने को उसके साथ जोड़ा न जाए।

2- इस्लामी तकाफ़ुल की स्थापना के लिए तीन शरई बुनियादें मौजूद हैं। हिबा-बिल-इवज़, इल्तिज़ाम बिल तबर्रुअ, या वायद ए हिबा और वक़्फ़। विभिन्न क़ानूनी हालात में इनमें से किसी को अपनाया जा सकता है।

3- तकाफ़ुल की विभिन्न सूरतों की प्रचलित कार्यविधि का अवलोकन करने और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए अकेडमी शीध्र ही एक कमेटी बनाएगी जिसमें कम से कम पांच उलमा, और

इन्शोरेन्स, वित्तीय और क़ानून से संबंधित तीन विशेषज्ञ शामिल हों, जो सामान्य रूप से इस मसले पर सोच विचार करें और हिन्दुस्तान के क़ानून की पृष्ठ भूमि में भी व्यवहारिक रूप से कोई सूरत को प्रस्तुत करें।

4- तकाफ़ुल की जो भी सूरत अपनायी जाए यह आवश्यक है कि समूचे मामलों की निगरानी के लिए प्रबन्धक कमेटी के अलावा एक शरई निगरानी करने वाला बोर्ड भी स्थापित किया जाए जिसको सारे मामलों को देखने का पूरा अधिकार हो और इसका फ़ैसला कम्पनी के लिए हर हाल में अमल करने योग्य हो।

5- यह सेमिनार अपील करता है कि मुसलमानों को चाहिए कि वे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए औक़ाफ़ स्थापित करें, आपसी मदद करने की समितियों को स्थापित करें और विभिन्न संस्थानों, कम्पनियों और व्यवसायों से जुड़े लोग आपसी सहयोग की ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा दें कि दुर्घटना ग्रस्त होने वाले साथियों की हानियों की क्षति पूर्ति हो सके और मदद करने वाले सवाब के लिए इस काम को करें।

6- इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी भारत सरकार से मांग करती है कि सूद व जुवा से मुक्त तकाफुल कम्पनी और वित्तिय संस्थानों की स्थापना में सहयोग उपलब्ध करे और क़ानूनी रुकावटों को दूर करे।

☆☆☆